संक्षिप्त

बाबा श्याम के जयकारों पर झूमे श्रद्धालु

मनोहरपुर। नवलपुरा गाव में श्री श्याम सत्संग मंडल के श्याम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के तहत बुधवार रात्रि को बाबा श्याम का विशाल जागरण आसपास दूर दराज के लोगों ने बाबा दीदार किया। बाबा श्याम की फलों एवं सूखे मेवे से बनी मालाओं के साथ 56 भोग से युक्त बाबा श्याम की नयनाभिराम झांकी सुल्तान श्याम बिछवा लिया सीताराम बन्शीधर बनवारीलाल खातोदिया ने सजाई। अखंड ज्योत जलाई गई। आगंतुक श्रद्धालुओं के तिलक करके रक्षा सूत्र बांधे। श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आरती होने के साथ गणेश जी के भजन के साथ हुई। भजन गायको बीरबल सिंह प्रकाश गुर्जर रामप्रकाश भडाणा जया चौधरी नागौर तब्बू तोरावाटी सिमरन कैलाश छैला मन्च संचालन विजय कुमार यादव सहित स्थानीय कलाकारों ने चिराग ने भाव, धमाल, होली विभिन्न भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया।

मोर को उपतहसील बनाने को लेकर दिया ज्ञापन

टोंक। अखिल भारतीय एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बौद्ध महासभा द्वारा ग्राम पंचायत पवालिया की जगह ग्राम पंचायत मोर को उप तहसील बनाने के लिए मुख्यमन्त्री के नाम जिला कलेक्टर टोंक को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत पवालिया को उप तहसील बनाने के लिए मन्त्री की ओर से अभिषंसा की है, जो गलत है क्योकि मोर में यातायात के लिए साधन एवं आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध है। मोर मे कृषि विभाग, अस्पताल, थाना व विघुत विभाग जीएसएस तथा मोर में ही गिरदावर सर्किल, बिसलपुर परियोजना हैड ऑफिस है, साथ ही आस-पास के सभी पंचायते व गावो को जोडने के लिए सडके और यातायात के साधन उपलब्ध है। जो ग्राम पंचायत मोर को उप तहसील बनाने के मापदंड पूरी करती है जबकि पवालिया मे आने जाने के साधन नही है। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण बैरवा, प्रभु प्रभारी बहुजन समाज उपाध्यक्ष नारायण लाल, नागा चौधरी (एडवोकेट) कांग्रेस कमेटी टोडारायसिंह व मौजूद रहे।

अवैध बजरी परिवहन करते हुए 2 टीपर डम्पर जब्त

निवाई। सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए 2 टीपर डम्पर व एक ट्रक को जब्त किया है। थानाधिकारी हीरालाल वर्मा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी भरकर ले जा रहे तीन वाहनों को रोका और उनके चालकों से बजरी के बारे में पूछा। चालकों द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर दोनों टिपर डम्परों एवं एक ट्रक को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने धनराज पुत्र जगदीश प्रजापत निवासी धुंआ खुर्द थाना घाड़ जिला टोंक व लोकेश पुत्र सूरजलाल योगी निवासी कारोला थाना बरोनी को गिरफ्तार कर लिया। एक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मय बजरी के तीनों वाहनों को जब्त कर लिया और थाना परिसर में खड़ा करवा दिया।

मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली कलश यात्रा

पीपलू। ग्राम पंचायत संदेडा में गुरुवार को झुझार जी महाराज की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर गाजे-बाजे के साथ कलशयात्रा निकाली गई। श्रद्धालु कन्हैयालाल, खगेश व दशरथ शर्मा ने बताया कि कलश यात्रा गांव के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ घूमधाम से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्गो से होते हुए वापस श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुँची। मन्दिर में झुझार जी महाराज को विराजमान करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विधि विधान से मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई। इस दौरान काफी संख्या मे महिला-पुरुष मौजूद रहे।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विजयनगर ब्लैकमेलिंग के विरोध में सड़को पर उतरा सर्व हिन्दु समाज

मालपुरा (निस) बीते दिनो विजयनगर सहित अन्य कई स्थानो मे स्कुली छात्राओं के साथ हुई हैवानियत की घटना के साथ-साथ ब्लैकमेलिंग व जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव की घटनाओं के विरोध मे गुरुवार को मालपुरा मे सडको पर उतरे सर्व हिन्दु समाज ने आक्रोश रैली निकाल सीएम के नाम तहसीलदार व डीवाईएसपी को सौंपा ज्ञापन।

पुरानी तहसील व बारादरी बालाजी मंदिर से बडी संख्या मे सर्व हिन्दु समाज के महिला-पुरुष व

- आक्रोश रैली निकाल सीएम के नाम सर्व हिन्दु समाज व स्कुली छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन

विजयनगर घटना के विरोध में सर्व हिन्दु समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन ।

स्कुली छात्र-छात्राओ ने लव जिहाद बंद करो, धर्म परिवर्तन का अत्याचार नही सहेगें नही सहेगें, आरोपियो को फांसी दो, जैसी श्लोगन लिखी तख्तियां हाथो मे लहराते हुये मौन आक्रोश रैली रवाना हुई। जो शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुई कोर्ट परिसर पहुंच सभा मे तब्दील हुई।

बडी संख्या मे जुटे विधार्थी व हिन्दु समाज के लोगो ने सम्बोधित करते हुये पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष जिनेन्द्र मेन्दवास्या, नरेन्द्र जैन,राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के खण्ड कार्यवाहक प्रहलाद गोवला, त्रिलोक चन्द जैन, रामप्रसाद शर्मा, महावीर बघेरा, प्रकाश चन्द पाटनी, डॉ. अंकित जैन, खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष द्वारका प्रसाद आगीवाल,पार्षद युधिष्ठर सिंधी, श्योजीराम शर्मा, सत्यनारायण विजय, अभिषेक पाराशर,विमल जैन, मनीष सोनी,इन्द्र सोनी,दशरथ मुंशी, मनोहर सिंधी, मनीष टोरडी,आरएल दीपक, विष्णु शर्मा, डॉ. अर्जुनदास, गोविन्द नामा, शशि जैन, गीता वालिया, विरेन्द्र शर्मा,ओमप्रकाश नामा सहित बडी संख्या मे मौजूद हिन्दु समाज के गणमान्य लोगो ने छात्राओं के हाथ से सीएम के नाम तहसीलदार पवन मातवा व पुलिसय उपाधिक्षक आशीष प्रजापत को सौंप गये ज्ञापन मे घटना मे लिप्त लोगो पर सख्त कार्यवाही फांसी की सजा देने व ऐसे लोगो पर दण्डात्मक कार्यवाही के लिये ठोस कानून बनाने की मांग की।

पावटा कस्बे में गंदे पानी से होकर निकाली शोभायात्रा

पावटा। महाशिवरात्रि महोत्सव पर जहां बुधवार को सुबह से ही बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शाम को शाही लवाजमे के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। लेकिन नगरपालिका व जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले शिव भक्तों व भगवान शिव की बारात की शोभा यात्रा को सड़क पर बह रहे नालियों के गंदे पानी से होकर निकलना पड़ा। जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। मामला पावटा प्रागपुरा नगरपालिका के पावटा कस्बा स्थित इंदिरा कॉलोनी मार्ग का है।

मुख्य मार्ग पर नालियों का गंदा पानी भरा होने के कारण यहां आए दिन मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं व ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पावटा मोक्ष धाम पहुंचने का भी यही एक मात्र मार्ग है। जहां शव यात्रा को भी गंदे पानी में से होकर ले जानी पड़ती है।मामले को लेकर श्रद्धालुओं व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं व राहगीरों सहित अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को गंदे व दुर्गंध भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर सीसी रोड के दोनों तरफ विरोध के चलते नालियों को नहीं बनने दिया गया। इसी कारण रोड पर घरों का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। जिससे रात में कई बार हादसे हो जाते है।

सात दिवसीय नि:शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन

कोटपूतली। अल्ट्राटेक कम्यूनिटी वेलफेयर फाउंडेशन मोहनपुरा, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल कोटपूतली व जिला स्वास्थ्य समिति (अंधता) जयपुर के आर्थिक सहयोग से ग्राम नारेहड़ा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किये जा रहे सात दिवसीय नि:शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का गुरुवार को समापन किया गया। इस मौके पर एसडीएम वैभव शर्मा, मंजरी महिला मंडल अध्यक्ष प्रीति दुराफे, मनीषा चौधरी, सीएसआर डिप्टी मैनेजर राजेन्द्र कुशवाहा, सुरक्षा अधिकारी सौरभ पचेरा, फायर एण्ड सेफ्टी अधिकारी राजेश अचेरा द्वारा मरीजों को फलों का वितरण किया गया।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री माखन सिंह, निवासी-सी-7, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर के स्वामित्व का प्लाट नम्बर 902, नाहरी का नाका (पूर्व), जयपुर का मूल मुख्त्यारनामा आम दिनांक 16.08.1980 (कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर शहर द्वारा दिनांक 28.08.1980 को रजि.नं. 385 पर निष्पादित), जो कि श्री दुर्गा प्रसाद सहल पुत्र श्री वासुदेव द्वारा श्री श्याम लाल पुत्र श्री सुवालाल के हित में निष्पादित किया गया था। उक्त मुख्त्यारनामा आम कही गुम हो गया है, उक्त मुख्त्यारनामा आम कही गुम हो गया है, जिसके सम्बन्ध में एक ऑनलाईन पुलिस इनफोरमेशन रिपोर्ट एलआर No: 2615879/ 2025 दिनांक 14.02.2025 को दर्ज कराई गई है। यदि किसी व्यक्ति, आम खास को मिले तो 07 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय पर लौटा देवें, मूल मुख्त्यारनामा आम का कोई दुरूपयोग नही करें। **दिनांक:** 24.02.2025 **मनोज कुमार शर्मा,** एडवोकेट
203, द्वितीय फ्लोर, गायत्री मार्ग, जवाहर टॉवर, बनीपार्क, जयपुर मो. 9928586174

खोया पाया

मेरे मकान संख्या-53/146 मानसरोवर का मूल आवंटन पत्रांक-90 दिनांक 26.06.1993 एवं 3410 दिनांक 14.07.1994 एवं PL-714 दिनांक 08.11.1994 तथा अदेय प्रमाण पत्राक 658 दिनांक 10.02.1995 मूल कहीं गुम हो गए है। मिलने पर सूचित करें-अतुल बिहारी माथुर-9810730146

मेरे प्लॉट नं. 162-165, 168-170 प्रत्येक 100 वर्गगज, 166-167 प्रत्येक 150 वर्गगज, आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा विकसित मिलन विहार फेज 3, स्थित इन्द्राढरोड जमवारामगढरोड जयपुर के मूल पट्टे 19.08.2021 को वैशाली सर्किल, जयपुर में गिर गये। कृपया सूचित करें-धर्म सिंह-9828623993

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पुत्र मनन भगतानी का नाम बदलकर मानव भगतानी रख लिया है तथा भविष्य में उसे मानव भगतानी के नाम से जाना जाये मुकेश भगतानी निवासी 5 व 28 नियर सेंट एडमंड्स स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान 302004

मेरा नाम शमीम था। अब मैंने बदलकर शमीम बानो पत्नि नसीम अख़्तर रख लिया है। भविष्य में मुझे शमीम बानो के नाम से जाना जावें। पता मकान नम्बर 35/20 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर

मैंने मेरा नाम राकेश वैकुंठनाथ पाण्डे से बदलकर राकेश पाण्डे रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। राकेश पाण्डे 4/163 मालवीय नगर, जयपुर

मैंने अपनी पुत्री का नाम तनिशा धामेजानी से बदलकर तनिशा दीवान रख लिया है। भविष्य में उसके नये नाम तनिशा दीवान पुत्री अनिल कुमार धामेजानी के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी 4/329, नियम राधागोविन्द मंदिर, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर-302039 राज.

I Manisha Agrawal W/o Prem Chand Gupta Address: 264/103-104 Sector-26 Pratap Nagar has changed my Name from Manisha Agrawal to Manisha Devi for all future purposes.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकद्दमा नम्बर 62/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री पुष्पेन्द्र सैनी पुत्र श्री दशरथ सैनी निवासी जे.24 होटल ओलम्पिया के पीछे, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंक रोड, गांधी नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री ओलम्पेशवर महोदव मंदिर ट्रस्ट कार्यालय पता-लाल कोठी मण्डी, जे.पी. फाटक अण्डर पास के सामने, लाल कोठी योजना, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 79/ 2024
चूंकि **श्री आशीष गुप्ता निवासी सी-39, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम जयपुर राजस्थान** ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास **पूजा एजुकेशनल सोसायटी** कार्यालय का पता **सी-39, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम जयपुर** के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19/2/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 5/5/25
मोहर 748 20-2-25 — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

आज्ञा से प्रेम सिंह खिमाल जिला जज देहरादून
प्रकीर्ण वाद संख्या 34 वर्ष 2025
जरीना बनाम आम जनता
श्रीमती ज़रीना आयु 52 वर्ष पत्नी स्व. मेहबूब अली जौलावत निवासी 275 जगननाथपुरी, कलवर रोड, झोटवारा, जयपुर राजस्थान।
...प्रार्थी
बनाम
आम जनता
...विपक्षी
चूँकि प्रार्थिनी जरीना द्वारा धारा सेक्शन 9 एवं 10 गार्जियन एण्ड वार्ड्स 1890 के अन्तर्गत अपने अव्यस्क पुत्री सोमैया शेख के हिस्से की सम्पत्ति सं. 229/195 किशन नगर, देहरादून जिसका खसरा सं. 46 झ रकबा 968 वर्गमीटर का अपना भाग 15 प्रतिशत अर्थात 145.20 वर्गमीटर ग्राम चायबाग कौलागढ, परगना पछ्वादून तहसील व जिला देहरादून की गार्जियन नियुक्त करने हेतु आवेदन जिला जज देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 17.03.2025 की तिथि सुनवाई हेतु नियत है।
सूची सम्पत्ति
सम्पत्ति सं. 229/195 किशन नगर, देहरादून जिसका खसरा सं. 46झ रकबा 968 वर्गमीटर का अपना भाग 15 प्रतिशत अर्थात 145.20 वर्गमीटर ग्राम चायबाग कौलागढ, परगना पछ्वादून तहसील व जिला देहरादून।
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन के सम्बन्ध मे यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17.03.2025 को समय 10.30 प्रात जिला जज के न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें ऐसा करने में असफल रहने पर वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा एवं वाद में उचित आदेश पारित किया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 18.02.2025 को जारी किया गया।
न्यायालय के आदेशानुसार
मोहर अदालत — सदर मुंशरिम न्यायालय जिला जज कोर्ट-देहरादूर

गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की अवधि बढ़ाई

कोटपूतली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिये 31 मार्च तक गिव-अप अभियान संचालित किया जा रहा है, पहले यह अवधि 28 फरवरी तक थी। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया की अभियान के तहत निष्कासित श्रेणी के परिवार जिला रसद अधिकारी कार्यालयप्र्य.डी.ओ. कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान से फॉर्म लेकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा सकते है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक लेकर इस अभियान का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये जा रहे है। उन्होंने बताया की अब तक विराटनगर, पावटा, बानसूर, एवं नारायणपुर उपखण्ड में उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग लेकर गिव अप अभियान में अपात्रों को जागरुक कर

- अपात्र परिवार 31 मार्च तक हटवायें एनएफएसए सूची से अपना नाम, वरना वसूली के साथ नियमानुसार होगी कार्यवाही

स्वैच्छा से राष्ट्र हित में अपना नाम एनएफएसए सूची से हटाने का आह्वान किया गया है। सभी डीलर्स को भी राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर द्वारा गिव-अप अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये है। गिव-अप अभियान में निष्कासित श्रेणी के जिन परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया जायेगा, उनसे 27 रूपये प्रति किग्रा गेंहू की दर से वसूली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

'परीक्षा में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है'

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने गुरुवार को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए, जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार व पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने इंजीनियरिंग पॉइंट, एनडी गंगा, सेठ गोपाल दास, गीता देवी डिग्री कॉलेज, आदर्श विद्या मंदिर, भारती पीजी कॉलेज केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा परीक्षा में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के परीक्षा में सम्मिलित हो सकें एवं अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने केंद्रों पर बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्निशन प्रणाली का स्वयं जायजा लिया।

- कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उन्होंने परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापित करने एवं फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करने हेतु बायोमेट्रिक तथा फेस रेकग्निशन तकनीक का उपयोग उच्च स्तर से आए निर्देशों के अनुसार करने के निर्देश दिए और पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली एवं चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी जायजा लिया और केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला परीक्षा समन्वयक शिवपाल जाट ने बताया कि रीट परीक्षा कि प्रथम पारी में 3934 विद्यार्थियों में से 3567 विद्यार्थियों ने तथा द्वितीय पारी में 4160 में से 3827 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। प्रथम पारी की उपस्थित प्रतिशत 90.67 तथा द्वितीय पारी में उपस्थित प्रतिशत 93.18 रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर जिला मुख्यालय खैरथल-तिजारा में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से परीक्षा आयोजन पर नजर रखी गई। उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, पेपर और ओएमआर शीट की सुरक्षा एवं गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि रीट परीक्षा आयोजन के द्वितीय दिवस 28 फरवरी को जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर 4226 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

बैठक में नगर पालिका परिसर में लिए अनेक निर्णय

राजगढ़। नगर पालिका राजगढ़ में टॉउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें गोल मार्केट पर अस्थाई ठेलियो को स्थानांतरित करने एवं वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन बनाए जाने का निर्णय लिया। बैठक मे जगदीश खीचड़ अधिशाषी अधिकारी ने बैठक के एजेन्डा के बारे में जानकारी दी।

बैठक में गोल मार्केट पे लगी अस्थाई ठेलियों को सब्जी मंडी के समीप खसरा न. 728 में स्थानांतरित किये जाने एवं सभी ठेलियों का मासिक किराया न्यूनतम निर्धारण करने के बारे में निर्णय लिया। सतीश कुमार दुहारिया अध्यक्ष नगर पालिका ने कहा कि खसरा 728 का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है।

विधायक ने उनियारा ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का किया शिलान्यास

टोंक। अन्न भंडारण योजना के तहत गुरुवार को 25 लाख रुपये की राशि से ग्राम सेवा सहकारी समिति उनियारा में स्वीकृत 500 मीट्रिक टन गोदाम राशि का शिलान्यास (भूमि पूजन) देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने किया। विधायक गुर्जर ने कृषकों को संबोधित करते हुए सहकारिता की योजनाओं की जानकारी उपस्थित कृषकों को दी। साथ ही, कहा कि सहकारिता की मुख्य ऋण योजनाओं यथा अल्पकालीन फसली ऋण योजना एवं राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

उन्होंने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट योजना के 5 लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया।

विधायक गुर्जर ने सहकारिता की योजनाओं की जानकारी दी।

केंद्रीय सहकारी बैंक लि. टोंक के प्रबंध निदेशक सीएल बुनकर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। कार्यक्रम में सहकारिता का राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। इसके तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उनियारा ग्राम सेवा सहकारी समिति में किया गया। प्रबंध निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं कृषकों ने भाग लिया।

ओम नमः शिवाय से गूंजते रहे शिवालय

निवाई। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बुधवार की रात को शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को चारों पहर की पूजा की। श्रीगौरी शंकर महादेव मंदिर के उपाध्यक्ष हनुमान श्रीमाल ने बताया कि शिवालय में आचार्य पंडित अरविंद शास्त्री के सानिध्य में चार पहर की पूजा संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि शिव भक्तों ने दो समूह में अलग-अलग बैठकर विधि विधान से मंत्र विचार के साथ भगवान भोलेनाथ एवं शिव पंचायत की पूजा की। इस दौरान पंडित अरविंद शास्त्री ने लगातार मंत्रोच्चार किया। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, घृत, शर्करा, गन्ना रस, पंचामृत, विजया सुगंधित द्रव्य व जल से अभिषेक किया। पहली पूजा की शुरुआत रात 9 बजे हुई जिसमें प्रथम पूज्य गणेश, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, षोडश मातृका सहित सभी नवग्रह का आ ान किया गया। उसके बाद भगवान शिव सहित शिव पंचायत का विधि विधान से पूजा कर अभिषेक किया गया। दूसरे व तीसरे पहर की लगातार पूजा हुई।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला-जयपुर ग्रामीण (राज.)
क्रमांक-न.पा.चा./2024-25/5288 **लोक सूचना** दिनांक-27.02.2025
आवेदक अपनत्व फयूचर जोन शिक्षण संस्थान निवासी वार्ड नं. 10 मामोडियों का मौहल्ला, चाकसू जरिये डायरेक्टर सुरज्ञान सिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र	प्रयोजन
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम का नाम भगवानपुरा, पटवार हल्का-रामनिवास, भू.अभि.नि.क्षेत्र-छान्देलकला	516	0.0400 हैक्टेयर	धार्मिक आध्यात्मिक व चैरिटेबल संस्था के अलावा अन्य संस्थान
		518	0.2400 हैक्टेयर	
		522/1	0.1000 हैक्टेयर	
		कुल किता 3	कुल 0.3800 हैक्टेयर	

इसलिए इसके द्वारा समस्त संवंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27.02.2025 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

चोरों ने ताला तोड़कर दुकान से 15 किलो चांदी व नकदी चुराई

पावटा। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीती रात चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए विराटनगर के मेड कस्बा स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। विराटनगर के मेड कस्बा में बुधवार की रात श्री लक्ष्मीनाथ ज्वेलर्स की शॉप का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में घुस गए। कोटर में रखी 15 किलोग्राम चांदी व 11 हजार की नगदी पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार सुबह चोरी की जानकारी चलने पर दुकानदार ने विराटनगर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुँची विराटनगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पीड़ित सुन्दर लाल सोनी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। विराटनगर के मेड कस्बा स्थित श्री लक्ष्मीनाथ ज्वेलर्स के नाम से आभूषण की दुकान है। रोज की तरह वह बुधवार शाम दुकान बंद करके चले गए। देर रात चोर शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुस गए। काउंटर में रखे 11 हजार रुपये नकदी, तिजोरी में रखी 15 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। विराट नगर थाना पुलिस आस-पास के घरों में लगे सीसी कैमरे के माध्यम से घटना की जांच कर रही

चोरी की घटना को लेकर व्यापारी और ग्रामीणों में रोष जताया।

- मैड स्थित श्री लक्ष्मीनाथ ज्वेलर्स की है घटना, चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त,
- सूचना पर विराटनगर थाना पुलिस पहुंची मौके पर, आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की खंगाल रही फुटेज

है। वहीं चोरी की घटना को लेकर स्थानीय व्यापारी और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। उन्होंने चोरों को पकड़ने की मांग की है। गौरतलब है कि क्षेत्र के पावटा प्रागपुरा कस्बों सहित ग्रामीण अंचल के विभिन्न गांवो में हुई चोरी की घटनाओ का खुलासा नही हो पाने से चोरी की घटना से पीडित हुए परिवार अभी भी घटनाओ को भूले नही है। चोरियो की घटना के बाद पुलिस भी आज तक कोई सुराग नही कर पाई है। जिनमें प्रागपुरा थाना क्षेत्र के पावटा कस्बा स्थित राठी कॉलोनी, प्रागपुरा कस्बे में थाने से महज कुछ ही दूरी पर, प्रागपुर बांस का मोहल्ला, मेंढा ग्राम में ज्वेलरी शॉप में लाखों रूपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी सहित अन्य सामान, ग्राम बड़नगर के पास स्थित दुलेसिंह का बास में समाज द्वारा समाज के लिए एकत्रित किए गए पीतल, तांबे, एल्यूमिनियम के लाखों के बर्तन भी चोरी कर ले गए थे। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में चोरी की घटनाएँ हो रही हैं। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व खुलासा करने में फेल साबित हो रही है। कुछ समय से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र तथा केन्द्र सामग्री डाउनलोड एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना के संदर्भ में सूचना बाबत

बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 हेतु उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 27.02.2025 को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दिये गये है, जिन्हें संबंधित शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी उन्हें पूर्व प्रदत्त आई.डी./पासवर्ड से डाऊनलोड करके प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर उसमें मुद्रित सभी प्रविष्टियों की भली भांति जांचकर प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करेंगें। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी (जहां से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र भरा है) डाऊनलोड कर सकेगें। **प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in के BOARD MAIN EXAM - 2025 लिंक पर उपलब्ध होगें।**

ऐसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक (NSO), उपस्थिति न्यून, अन्य कारणों से रोका गया (DETAINED) आवेदन पत्र निरस्त (REJECT) अथवा अन्य किसी भी प्रलेख की कमी के कारण अथवा जिन शालाओं ने बोर्ड से सम्बद्धता का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है उनके प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किये जायेंगे। शाला द्वारा जिन छात्रों का नाम NSO, उपस्थिति न्यून अथवा अन्य कारण से रोका जाना है/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है ऐसे छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित नही करे यदि ऐसे प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड हो गये है तो शाला प्रधान उपरोक्त कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर पर रोककर केवल योग्य परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र वितरित करें। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो तो शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी का सही फोटो लगवाकर प्रमाणित कर प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को वितरित करें तथा बोर्ड कार्यालय में इसकी सूचना प्रेषित कर संशोधन करावें। परीक्षा समाप्ति पश्चात् फोटो संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा। **अयोग्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरित करने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रधान की होगी।**

बोर्ड परीक्षा में केन्द्र सामग्री संबंधी अतिआवश्यक निर्देश :- परीक्षा 2025 हेतु केन्द्र सामग्री यथा उपस्थिति पत्रक, बैठक व्यवस्था, नामांकों की नॉमिनल रोल, प्रश्न पत्र संख्यात्मक सारणी ऑनलाईन अपलोड की जायेगी जिसे संबंधित शालाऐं जिन्हें परीक्षा का केन्द्र बनाया गया है उनके शाला प्रधान नियुक्त केन्द्राधीक्षकों को सम्पूर्ण सामग्री मुद्रित कर अनिवार्यत: उपलब्ध कराएंगे।

कंट्रोल रूम व्यवस्था:-बोर्ड परीक्षा 2025 के संचालन हेतु बोर्ड कार्यालय में दिनांक 01.03.2025 से प्रात: 6.00 बजे कंट्रोल रूम प्रारम्भ किया जायेगा जो दिनांक 09.04.2025 तक (24 X 7) (24 घण्टे) कार्यरत रहेगा।

परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत हेतु नीचे दिये गये दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायतकर्ता अपना नाम, पता, टेलिफोन/मोबाईल नम्बर अवश्य नोट करावें। कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायत का क्रमांक अवश्य प्राप्त करें ताकि इसी शिकायत क्रमांक से समाधान की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। परीक्षार्थियों के नामांक, केन्द्र संबंधी जानकारी बोर्ड वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Email ID ddexamfirst@gmail.com
सचिव